न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

1. प्रकरण संख्या 55 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

1. भंवरलाल पिता भीमा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती तुलसीबाई पुत्री भीमा जी पत्नी वरदा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सोहनलाल पिता गुमाना जी डांगी, नि0 कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. भेरा पिता रता जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. पृथ्वीराम पिता गुमाना जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. लोगर पिता हरिया जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 56 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

3. भंवरलाल पिता भीमा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती तुलसीबाई पुत्री भीमा जी पत्नी वरदा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सोहनलाल पिता गुमाना जी डांगी, नि0 कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. भेरा पिता रता जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. पृथ्वीराम पिता गुमाना जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. लोगर पिता हरिया जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राज.का.अधि.
1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा प्रा.डिक्री दि॰1[illegible].20[illegible] व अंतिम
डिक्री दि. 24.09.18 प्र.[illegible]49 / 2014

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1. श्री मानाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे. सं. 4
4. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 19—10—2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कलड़वास वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल आराजियात किता 32 रकबा 2.1400 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण हस्तक्षेप करते हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग—अलग दर्ज किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18—12—2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 24—09—2018 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18—12—2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 55/2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24—09—2018 के विरूद्ध अपील संख्या 56/2022 इस न्यायालय में दिनांक 25—07—2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील भूरालाल डांगी उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 149/2014 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण मौके पर जब भारी निर्माण सामग्री डालकर अपीलान्टगण के कब्जे वाली भूमि को मिलाते हुए रोड़ की तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना शुरू कर दिया और अपीलान्ट को भूमि में जाने से रोक दिया तब अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से पता किया तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 11–07–2022 को प्रथम बार हुई। जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा नकलें प्राप्त कर दोनों अपीलें अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट को दिनांक 17–10–2014 को रजिस्टर्ड सम्मन दिनांक 13–01–2015 की पेशी के लिए भेजा गया, इसके बावजूद अपीलान्टगण दिनांक 13–01–2015 उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लगातार 6 पेशियां जवाब प्रस्तुत करने हेतु दी गयी, किन्तु अपीलान्टगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से एवं बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिनांक 18–12–2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। विभाजन सूची दिनांक 10–07–2018 को अपीलान्टगण की उपस्थिति में तैयार की गयी है तत्पश्चात् पक्षकारों की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–09–2018 को अंतिम डिक्री जारी की गयी है। जमाबन्दी में विभाजन अनुसार अलग–अलग खाते बनने के बाद अपीलान्ट भंवरलाल द्वारा दिनांक 25–03–2019 को खाते की नकल निकलवायी गयी है, इसके बाद दिनांक 23–09–2021 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई गयी है तथा उसके बाद दिनांक 24–01–2022 को नकल निकलवायी गयी है, जिसका इन्द्राज किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 11–07–2022 को पटवारी हल्का के माध्यम से उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, मनगढन्त एवं बेबुनियात कथन है। अपील [illegible] प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्रों एवं उसके जवाब का अवलोकिन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–12–2017 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–07–2022 को प्रस्तुत की है, जबकि इस न्यायालय में अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 17–02–2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 55/2022 करीब 4½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार अंतिम दिनांक 24–09–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 56/2022 इस न्यायालय में दिनांक 23–11–2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए था, जो दिनांक 25–07–2022 को अर्थात करीब 3 वर्ष 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 11–07–2022 को पटवारी हल्का के माध्यम से होना बताया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उसके अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी भंवरलाल द्वारा दिनांक 25–03–2019, 23–09–2021, 24–01–2022 को जमाबन्दी की नकलें निकलवाई गयी हैं, जिनका इन्द्राज पी–35 के रजिस्टर के क्रम संख्या 907 दिनांक 25–03–2019, क्रम संख्या 352 दिनांक 23–09–2021 एवं क्रम संख्या 602 दिनांक 24–01–2022 पर किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी काफी पूर्व से ही थी, किन्तु उनके द्वारा उक्त अपील इतने विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके लिए जो कारण बताये हैं, वह उक्त दस्तावेज के मद्देनजर उचित एवं पर्याप्त कारण प्रकट नहीं होता है, तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः उक्त दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–12–2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24–09–2018 यथावत रखी जाती हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

भंवरलाल पिता भीमा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**सोहनलाल पिता गुमाना जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**55 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**18**.....माह.....**12**.....**2017**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मानाराम डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री भूरालाल डांगी/ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

भंवरलाल पिता भीमा जी डांगी, निवासी कलड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**सोहनलाल पिता गुमाना जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**56 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**24**.....माह.....**09**.....**2018**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मानाराम डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री भूरालाल डांगी/ओंकारलाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24–09–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested